समाहरणालय किशनगंज

(जिला स्थापना प्रशाखा)

-:: आदेश ::-

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र ज्ञापांक 99 (10 रा0, दिनांक 26.03.2013 द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के निमित्त भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं समकक्ष पदाधिकारियों के पॉच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 08.04.2013 से 12.04.2013 तक बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी, पटना में निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार इस जिले से श्री मो0 कमर आलम, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज को निर्धारित प्रशिक्षण सत्र में भाग लेना है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री आलम, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज को प्रतिनियुक्त करते हुए दिनांक 07.04.2013 के अपराह्न से विरमित किया जाता है। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 08.04.2013 के पूर्वाह्न में प्रशिक्षण संस्थान पटना में योगदान समर्पित कर प्रशिक्षण में भाग लेना सुनिश्चित करेंगें। उक्त अवधि में श्री संजय कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता, किशनगंज भुमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज के दैनिक कार्यो के प्रभार में रहेंगें।

ह0-
जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।

ज्ञापांक..232../जि0स्था0, दिनांक..06/04/13.....।

प्रतिलिपि :- श्री मो0 कमर आलम, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज/ श्री संजय कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता, किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी, पटना को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र ज्ञापांक 99 (10) रा0, दिनांक 26.03.2013 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्र ज्ञापांक 99 (10) रा0, दिनांक 26.03.2013 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0 टी0 प्रबंधक, किशनगंज को ई-मेल द्वारा संबंधित को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित।

6/4/13

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।

D:/Pappu Babu/Letter